न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :–65/2018/जिला भीलवाड़ा

श्यामलाल पुत्र भैरूलाल जाति जाट निवासी ग्राम रूपालीया तह0 हम्मीगढ़ जिला भीलवाड़ा

–अपीलांट

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र रामा जाति जाट निवासी ग्राम रूपालिया तह0 हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. जगन्नाथ पुत्र गोरधन जाति बड़वा निवासी कविनगर रेलवे स्टेशन हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. रतनलाल पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी करत्यास तहसील गंगरार जिला चित्तोडगढ़
4. सरपंच ग्राम पंचायत आमलीगढ़ तह0 हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
5. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा**

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ जिला भीलवाड़ा दिनांक 24.05.2018 अपील संख्या 04/2017 उनवानी श्यामलाल बनाम भैरूलाल में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री मदनलाल गुर्जर(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभि0 न0:– (1 से 3) श्री शंकरलाल चौधरी/श्री दिनेश
राजकीय अभि0:–श्री आकाश पारीक

निर्णय **दिनांक:–28.02.2022**

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने आराजी न0 198/1,199/1 कुल किता 02, कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा का विक्रय रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में कर दिया है। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत आमलीगढ़ ने रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में नामांतरण संख्या 1067 दिनांक 21.08.2017 को स्वीकृत किया एवं इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 01 ने विवादित आराजी खसरा न0 470/1, 471/2 कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि का विक्रय रेस्पो0 संख्या 03 के पक्ष में कर दिया है। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत आमलीगढ़ ने रेस्पो0 संख्या 03 के पक्ष में नामांतरण संख्या 1069 दिनांक 21.08.2017 को स्वीकृत किया है। इसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक अपील एस0डी0ओ हमीरगढ़ के यहां प्रस्तुत की। जिसे उन्होनें अपने आदेश दिनांक 24.05.2018 के द्वारा अपील को अस्वीकार करते हुए रेस्पो0 के पक्ष में स्वीकृत नामांतरण को यथावत रखा। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है–

1. ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये ही नामांतरण स्वीकृत कर दिया। क्योंकि रेस्पो0 1 भैरूलाल द्वारा दिनांक 29.05.2017 को विक्रय इकरार के द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्राप्त कर लिया था। मौके पर उसका कब्जा है। जबकि रेस्पो0 न0 1 के द्वारा रेस्पो0 2 व 3 को बहुत समय बाद दिनांक 03.07.2017 को विक्रय किया है।
2. उक्त रजिस्ट्रीयों को निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायालय भीलवाड़ा में वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः ग्राम पंचायत आमलीगढ़ द्वारा कृत नामांतरण संख्या 1068,1069 दिनांक 21.08.2017 को निरस्त किया जावें।

इसके साथ वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 24.05.2018 के उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़ के निर्णय की जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता ने उसे नही दी थी। दिनांक 31.07.2018 को पटवारी हल्का द्वारा उसे सूचित किया गया। दिनांक 01.08.2018 को नकल प्राप्त की गई और दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:56:56 IST
Reason: SelfAttested

09.08.2018 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई। देरी को क्षमा किया जाये। उसके समर्थन में श्यामलाल द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

एक अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आमलीगढ़ द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 1068,1069 दिनांक 21.08.2017 का प्रमाणित प्रतिलीपी अभी उसे प्राप्त नही हुई है। अतः उसे प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की जायें।

एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा होने से स्थगन आदेश दिया जायें। अपील की पालना स्थगित नहीं होने पर अप्रार्थीगण भूमि को खुर्दबुर्द कर देगें। जिसे उसे अपूर्णिय क्षति होगी। इसके समर्थन में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

अपील प्राप्त होने पर क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज की जाकर नम्बर पर ली गई। रेस्पो0 को नोटिस भेजे गए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। रेस्पो0 की ओर से वकील श्री शंकरलाल चौधरी और श्री दिनेश प्रस्तुत हुए। अपीलांट की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई।

मौखिक बहस के दौरान वकील अपीलांट के द्वारा बताया गया कि रेस्पो0 1 भैरूलाल पुत्र रामलाल जाट खसरा न0 198/1,199/1 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि रेस्पो0 न0 2 को विक्रय की गई। उसके आधार पर ग्राम पंचायत आमलीगढ़ द्वारा नामांतरण संख्या 1068 दिनांक 21.08.2017 रेस्पो0 न0 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार खसरा न0 470/1,472/1 , 1बीघा 19 बिस्वा भैरूलाल पुत्र रामलाल जाट द्वारा रेस्पो0 न0 3 को विक्रय कर दिया। ग्राम पंचायत आमलीगढ़ द्वारा नामांतरण संख्या 1069 दिनांक 21.08.2017 स्वीकृत किया गया। जबकि वकील अपीलांट के अनुसार दिनांक 29.06.2015 को भैरूलाल पुत्र रामा जाट ने अपीलांट के पक्ष में विक्रय एग्रीमेंट कर दिया था। कब्जा हमारा है। उक्त भूमि के संदर्भ में ए0डी0जे सिविल कोर्ट में एक वाद रजिस्ट्री निरस्तीकरण का चल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण खोलते हुए हमे नहीं सुना गया। इसके विरूद्ध एस0डी0ओ के यहां अपील की थी जो भी उनके द्वारा दिनांक 24.05.2018 को खारिज कर दी। वकील रेस्पो0 ने बहस में बताया कि अपीलांट को रजिस्टर्ड सैल डीड को सिविल कोर्ट से निरस्त कराने के बाद ही ही लाभ मिल सकता है। वर्तमान में सैल डीड निरस्त होने बाबत् कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपखण्ड न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा कोई गवाह अपने समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया। अपील खारिज की जायें।

बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया, सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय अपीलांट की बात से सहमत है। अपीलांट द्वारा इसके समर्थन में अपना शपथ पत्र भी दिया गया है। अपीलांट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, अपीलांट चूंकि वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं बनता है। साथ ही सुविध का संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी अपीलांट अपने पक्ष में सिद्ध नहीं कर पाया। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा नामांतरण संख्या 1068 व 1069 दिनांक 21.08.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा ग्राम पंचायत आमलीगढ़ में प्रार्थना पत्र पेश किया है। परंतु वह उसे अभी [illegible] नहीं होने से प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत करने में छूट प्रदान की जायें। अपीलांट द्वारा [illegible] समर्थन में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायालय यह मानता है कि [illegible] प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया है। जो अब तक उसे प्राप्त नहीं हुई [illegible]। अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 रैवन्यु कोर्ट मैन्युअल अपीलांट स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा उठाये गए अपील के आधार और बहस बिन्दुओं को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट का मुख्य आधार ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण खोलते वक्त उसे नहीं सुनने का है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण खोले गये है। जिसमें अपीलांट का कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है। ना ही उसको सुनने की कोई आवश्यकता थी अतः ग्राम पंचायत द्वारा सही तरीके से कार्यवाही करते हुए नामांतरण स्वीकृत किये गए है।

दूसरा मुख्य आधार अपीलांट द्वारा विक्रय इकरार दिनांक 29.05.2015 जो कि उसके द्वारा भैरूलाल रेस्पो0 न0 1 के साथ किया गया था को माना गया है। अपीलांट का यह भी कहना है कि भैरूलाल द्वारा उक्त विक्रय इकरार के आधार पर प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया गया था। साथ ही उसके द्वारा सिविल कोर्ट में विक्रय पत्र निरस्त कराने बाबत जिला न्यायाधीश भीलवाड़ा के यहां वाद दायर कर रखा है जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

अपीलांट द्वारा जब तक सिविल न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त नहीं करवा दिया जाता है, तब तक अपीलांट राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अपीलांट द्वारा इस बाबत सिविल न्यायालय में चल रही कोई प्रोसिडिंग की प्रमाणित प्रतिलिपी भी बहस के दौरान अपील मीमो के साथ प्रस्तुत नहीं की है। न्यायालय का यह मानना है कि ग्राम पंचायत द्वारा सही तरीके से नामांतरण को स्वीकृत किया गया है। अपीलांट अपनी बात को सिद्ध नही कर पायें। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 **विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ जिला भीलवाड़ा दिनांक 24.05.2018 (अपील संख्या 04/2017) को सारहीन होने से खारिज किया जाता है।** ग्राम पंचायत आमलीगढ़ द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 1068 व 1069 दिनांक 21.08.2017 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested